



2026:AHC-LKO:21249

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
रिट - ए सं. 3130 वर्ष 2026

विवेकानंद पांडेय

..... याची (गण)

बनाम

निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद

उ. प्र. लखनऊ एवं 2 अन्य

..... प्रत्युत्तरदाता (गण)

याची (गण) के अधिवक्ता

: राजीव श्रीवास्तव, अवधेश कुमार सिंह

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता

: सुरेन्द्र कुमार सिंह

न्यायालय सं. - 17

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. सुना गया

2. यह याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है:

"(i) विरोधी पक्षकारों को, याची के वेतन को 1.1.1996 से चौथे वेतनमान से पांचवें वेतनमान में और 1.1.2006 से छठे वेतनमान में संपरिवर्तित करने पर विचार करने और साक्षी की सेवा उस पद के लिए नियमित वेतनमान में मानते हुए, विधि में स्वीकृत के अनुसार वेतन के

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सभी लाभ अनुज्ञात करने का निदेश को निदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए।

(ii) विरोधी पक्षकारों को याची को वेतन का समस्त बकाया, ब्याज सहित भुगतान करने का निदेश देते हुए, परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए।"

3. याची के विद्वान् अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वेतन का वह लाभ, जो 5वें और 6ठे वेतन आयोग द्वारा दिया गया था, याची को नहीं दिया गया है। वह अग्रेतर निवेदन करते हैं कि इसी प्रकार का विवाद, इस न्यायालय द्वारा रिट-ए सं. 614 वर्ष 2020 (उदयवीर सिंह बनाम उ.प्र.राज्य) में परमादेश की रिट जारी करते हुए, आदेश दिनांक 13.02.2025 द्वारा, प्राधिकारियों को संबंधित याची को, जो मंडी परिषद का कर्मचारी था, उक्त आदेश प्राप्त होने की दिनांक से 2 महीने की अवधि के भीतर, 5वें और 6ठे वेतन आयोग के लाभ प्रदान करने के लिए पहले ही विनिश्चित किया जा चुका है। तत्पश्चात्, मंडी परिषद्, उ. प्र. द्वारा एक विशेष अपील, अर्थात् विशेष अपील सं. 116 वर्ष 2025 अधिमानित की गई थी, जिसे इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आदेश दिनांक 21.03.2025 द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद वह निवेदन करते हैं कि मंडी परिषद् द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील करने के लिए विशेष अनुमति (सि) सं. 17710 वर्ष 2025 भी दाखिल की गई थी, और उसे भी आदेश दिनांक 21.07.2025 द्वारा खारिज कर दिया गया था। अतः, यह निवेदन है कि क्योंकि याची

उपर्युक्त लाभ के लिए अधिकृत है, इसलिए इस न्यायालय का हस्तक्षेप अपेक्षित है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. प्रत्युत्तरदातागण के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय के निर्णयों के संबंध में कोई विवाद नहीं किया है।

5. पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करने और अभिलेख का परिशीलन करने पर, यह स्पष्ट है कि इसी प्रकार का विवाद, इस न्यायालय द्वारा रिट-ए सं. 614 वर्ष 2020 में आदेश दिनांक 13.02.2025 द्वारा विनिश्चित किया जा चुका है। आदेश दिनांक 13.02.2025 निम्नवत् है:

"1. याची के विद्वान् अधिवक्ता, प्रत्युत्तरदाता सं. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान् स्थायी अधिवक्ता, और प्रत्युत्तरदाता सं. 2 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री एन. सी. मेहरोत्रा को सुना।

2. आदेश दिनांक 31.12.2019 चुनौती के अधीन है, जिसकी एक प्रति याचिका का संलग्नक 1 है, जिसके द्वारा याची का 5वें और 6ठे वेतन आयोग के लाभ दिए जाने का दावा निरस्त कर दिया गया है।

3. अग्रेतर, याची को ₹ 3050-4590 और ₹ 5200-20200 क्रमशः के वेतनमान में 5वें और 6ठे वेतन आयोग का लाभ प्रदान करने के लिए, प्रत्युत्तरदातागण को आदेश देते हुए एक परमादेश जारी करने की प्रार्थना की गई है।"

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. पक्षकारों द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि कुछ समय पूर्व, याची ने, आदेश दिनांक 04.04.2015 से, जिसकी एक प्रति याचिका का संलग्नक 8 है, जिसके द्वारा याची के 5वें और 6ठे वेतन आयोग का लाभ दिए जाने का दावा निरस्त कर दिया गया था, व्यथित होकर इस न्यायालय में रिट याचिका सं. 2305(एस/एस) वर्ष 2015, शीर्षक, उदयवीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, दाखिल करके उपागम किया था।

5. इस न्यायालय ने, विस्तृत सुनवाई करने और संबंधित पक्षकारों के तर्कों पर विचार करने के पश्चात्, निर्णय एवं आदेश दिनांक 30.08.2019 पारित किया था, जिसकी एक प्रति याचिका का संलग्नक 9 है। क्योंकि उक्त निर्णय का आक्षेपित आदेश पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए, सुविधा के लिए, उक्त आदेश नीचे उद्धृत किया गया है:

"याची के विद्वान् अधिवक्ता, प्रत्युत्तरदाता सं. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान् स्थायी अधिवक्ता, और प्रत्युत्तरदाता सं. 2 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री एन. सी. मेहरोत्रा को सुना गया।

प्रत्युत्तरदाता सं. 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.4.2015 से व्यथित होकर, जिसकी एक प्रति याचिका का संलग्नक-1 है, याची इस न्यायालय के समक्ष है। उक्त आदेश द्वारा, 5वें और 6ठे वेतन आयोग का लाभ दिए जाने का याची का दावा कुछ आधारों पर निरस्त किया गया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



है। अग्रेतर, याची को, देय दिनांक से ₹ 3050-4590 के वेतनमान में 5वें वेतन आयोग का लाभ, और देय दिनांक से ₹ 1900 के ग्रेड-वेतन के साथ, ₹ 5200-20200 के वेतनमान में 6ठे वेतन आयोग का पुनरीक्षण पुनरीक्षण प्रदान करने, और याची के लिए स्वीकृत सभी संबंधित लाभ प्रदान करने के लिए प्रत्युत्तरदातागण को आदेश देते हुए परमादेश जारी करने की प्रार्थना की गई है।

याची द्वारा प्रस्तुत मामला यह है कि उसे 18.11.1995 को, मंडी सहायक के रूप में श्रेणी IV के पद पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति आदेश की एक प्रति याचिका का संलग्नक-2 है। याची की नियुक्ति ₹ 775-1025 के वेतनमान में एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ की गई थी। उक्त नियुक्ति आदेश के अनुसरण में, याची ने 22.11.1995 को अपना कार्यभार ग्रहण किया था। तत्पश्चात्, आदेश दिनांक 27.06.1999 के माध्यम से याची को उक्त पद पर स्थायी कर दिया गया था, जिसकी एक प्रति रिट याचिका का संलग्नक-3 है। याची के स्थायीकरण आदेश में उल्लेख है कि उसे ₹ 950-1500 के वेतनमान में मंडी सहायक के पद पर स्थायी किया जा रहा है। तत्पश्चात्, याची मंडी सहायक के पद पर काम करता रहा था। तथापि, जब उसे 5वें और 6ठे वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया था, तो उसने प्रत्युत्तरदातागण को उक्त लाभ दिए जाने के लिए अभ्यावेदन दिया था, किन्तु प्रत्युत्तरदातागण ने आक्षेपित आदेश दिनांक 04.04.2015 के माध्यम से याची का दावा निरस्त कर दिया था। उक्त आदेश से

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



व्यथित होकर और 5वें तथा 6ठे वेतन आयोग के लाभ न दिए जाने के कारण, वर्तमान याचिका दाखिल की गई है।

याची के विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवाद करते हैं कि याची का 5वें और 6ठे वेतन आयोग के लाभ दिए जाने का दावा खारिज करने का आक्षेपित आदेश दिनांक 04.04.2015, इंगित करता है कि शासनादेशों दिनांक 21.12.2011 और 27.01.2011 पर विचार करते हुए, केवल वे नियुक्तियां नियमित की जा सकती थीं जो 29.06.1991 से पहले की गई थीं, और क्योंकि याची की नियुक्ति 29.06.1991 के बाद हुई थी, इसलिए सरकार द्वारा नियमितीकरण की कोई अनुमति नहीं दी गई थी, और परिणामतः, 22.11.1995 से प्रभावी, याची की नियुक्ति नियमित नहीं मानी जा सकती है जिससे वह 5वें और 6ठे वेतन आयोग का लाभ पाने का लिए अधिकृत हो सके।

याची के विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवाद करते हैं कि आदेश दिनांक 04.04.2015, जिसके द्वारा याची का उपर्युक्त लाभ दिए जाने के दावा निरस्त किया गया है, स्पष्ट रूप से मस्तिष्क का प्रयोग न किया जाना दर्शित करता है, क्योंकि याची का नियुक्ति आदेश और स्थायीकरण आदेश दिनांक 27.06.1999 अभी अस्तित्व में है, और परिणामतः प्रत्युत्तरदातागण के पास याची को नियमित नहीं मानने का कोई आधार नहीं है, जिससे उसे उपर्युक्त लाभ के लिए अनधिकृत किया जा सके।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दूसरी ओर, प्रत्युत्तरदातागण के विद्वान् अधिवक्ता श्री एन. सी. मेहरोत्रा ने संक्षिप्त प्रतिशपथ पत्र में अंतर्विष्ट प्रकथनों के आधार पर तर्क देते हैं कि क्योंकि याची की नियुक्ति और तत्पश्चात् उसका नियमितीकरण, आक्षेपित आदेश में निर्दिष्ट सुसंगत शासनादेशों के विरुद्ध था, और पश्चात्पूर्वी रूप से ही, राज्य सरकार ने 21.08.2015 को अनुमति प्रदान की थी, कि याची सहित विभिन्न व्यक्तियों को, जो 31.03.1996 तक भर्ती किए गए थे, सम्यक् रूप से गठित समिति द्वारा नियमित किया गया था। याची के मामले में, पत्र दिनांक 20.11.2015 के माध्यम से एक नियमितीकरण आदेश जारी किया गया है, जिसकी एक प्रति संक्षिप्त प्रतिशपथपत्र के संलग्नक डी-1 के रूप में दाखिल की गई है। यह प्रतिवाद किया गया है कि क्योंकि अब याची को 20.11.2015 से नियमित माना गया है, इसलिए प्रत्युत्तरदातागण के पास याची की पूर्ववर्ती नियुक्ति और स्थायीकरण आदेश दिनांक 27.06.1999 पर विचार करते हुए उसे कोई लाभ देने का कोई अवसर नहीं है। इस प्रकार, यह प्रतिवाद किया गया है कि निरसन का आक्षेपित आदेश उचित रीति से पारित किया गया है, और यह रिट याचिका भ्रामक होने के कारण खारिज की जाने योग्य है।

पूर्ववर्ती दिनांक, अर्थात् 31.07.2019 को, विद्वान् अधिवक्ता श्री एन. सी. मेहरोत्रा से यह अनुदेश प्राप्त करने के लिए कहा गया था कि क्या आदेश दिनांक 4.4.2015 निरस्त किया गया है या अभी अस्तित्व में है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आज, श्री मेहरोत्रा अनुदेशों के आधार पर निवेदन करते हैं कि आदेश दिनांक

04.04.2015, आदेश दिनांक 29.08.2019 द्वारा निरस्त किया गया है।

विरोधी पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात्, जो स्पष्ट रूप से सामने आता है, वह है कि याची को वर्ष 1995 में उसकी नियुक्ति के पश्चात् आदेश दिनांक 27.06.1999 द्वारा मंडी सहायक के रूप में स्थायी कर दिया गया था, जिसकी एक प्रति याचिका का संलग्नक-3 है। उक्त आदेश अभी अस्तित्व में है। नियमितीकरण आदेश दिनांक 20.11.2015 से, जैसा प्रत्युत्तरदातागण द्वारा, याची की सेवा को उस दिनांक से नियमित करते हुए, जिस दिनांक को, अर्थात् नवंबर में, उसने उक्त आदेश के अनुसरण में कार्यभार ग्रहण किया था, पारित किया गया है, प्रत्यक्ष रूप से मस्तिष्क का प्रयोग न किया जाना दर्शित होता है, क्योंकि जब याची का स्थायीकरण आदेश पहले से ही अस्तित्व में था, तो प्रत्युत्तरदातागण के लिए आदेश दिनांक 20.11.2015 जारी करने का कोई अवसर नहीं था। जो भी हो, मामले के तथ्य हैं कि याची का 5वें और 6ठे वेतन आयोग के लाभ दिए जाने का दावा, जिसे आक्षेपित आदेश दिनांक 04.04.2015 निरस्त किया गया था, प्रत्युत्तरदातागण ने स्वतः आदेश दिनांक 29.08.2019 के माध्यम से प्रत्याहृत कर लिया है। इस प्रकार, याची का स्थायीकरण आदेश दिनांक 27.06.1999 का, जो अभी भी विद्यमान है, याची को 5वें और 6ठे वेतन आयोग के उपर्युक्त लाभ दिए जाने के लिए अधिकृत करता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तदनुसार, उपर्युक्त चर्चा पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका, देय दिनांक से सभी संबंधित लाभों सहित, 5वें और 6ठे वेतन आयोग का लाभ दिए जाने के याची के दावे पर, प्रत्युत्तरदातागण को विचार करने का निदेश देने के साथ निस्तारित की जाती है।

इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की दिनांक से तीन महीने के भीतर इस मामले पर विचार किया जाए।"

6. उपर्युक्त आदेश के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि याची की याचिका के लंबित रहने के दौरान ही, प्रत्युत्तरदातागण ने आदेश दिनांक 29.08.2019 के माध्यम से आदेश दिनांक 04.04.2015 को प्रत्याहृत कर लिया था, फिर भी, याची को आदेश दिनांक 27.06.1999 के माध्यम से मंडी सहायक के रूप में पुष्टि किए जाने के बाद भी, प्रत्युत्तरदातागण का विचार था कि क्योंकि याची को आदेश दिनांक 20.11.2015 के माध्यम से नियमित किया गया है, इसलिए वह 5वें और 6ठे वेतन आयोग के लाभ के लिए अधिकृत नहीं होगा।

7. पश्चात्पूर्वी नियमितीकरण आदेश दिनांक 20.11.2015 रिट न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया था, और रिट न्यायालय का विचार था कि क्योंकि याची का स्थायीकरण आदेश दिनांक 27.06.1999 अभी अस्तित्व में है, इसलिए वह याची को 5वें और 6ठे वेतन आयोग के उपर्युक्त लाभ दिए जाने के लिए अधिकृत करेगा, और तदनुसार, रिट याचिका, प्रत्युत्तरदातागण को, याची के 5वें और 6ठे वेतन आयोग के लाभों को देय दिनांक से दिए जाने के दावे पर विचार करने का निदेश देने के साथ निस्तारित की गई थी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. विरोधी पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं का कथन है कि उपर्युक्त निर्णय अंतिम हो चुका है और किसी पक्षकार द्वारा इसे चुनौती नहीं दी गई थी।

9. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि रिट न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 30.08.2019, पक्षकारों के बीच अंतिम हो चुका है।

10. रिट न्यायालय द्वारा जारी निदेश दिनांक 30.08.2019 के अनुसरण में, प्रत्युत्तरदातागण ने आक्षेपित आदेश दिनांक 31.12.2019 पारित किया था, जिसके द्वारा आदेश दिनांक 20.11.2015 के आधार पर, अर्थात्, याची को उसके स्थायीकरण आदेश दिनांक 27.06.1999 के बाद नियमित किया गया था, इसलिए याची का दावा निरस्त किया गया है।

11. प्रत्युत्तरदातागण सं. 2 से 4 के विद्वान् अधिवक्ता श्री एन. सी. मेहरोत्रा ने आदेश दिनांक 31.12.2019 का समर्थन करते हुए तर्क दिया है कि क्योंकि याची का स्थायीकरण दिनांक 27.06.1999 एक असक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया था, और यह सेवा नियमों के विरुद्ध था, इसलिए, भले ही उक्त स्थायीकरण आदेश पारित किया गया था और आज की दिनांक तक अस्तित्व में है, याची, विशेषकर नियमितीकरण आदेश दिनांक 20.11.2015 को ध्यान में रखते हुए, उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।

12. श्री मेहरोत्रा का उपर्युक्त तर्क स्पष्ट रूप से गलत और भ्रामक पाया गया है। इसका कारण यह है कि रिट न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 30.08.2019, पक्षकारों के बीच अंतिम हो चुका है, जिसमें रिट न्यायालय ने, जैसा पहले ही उपर्युक्त इंगित किया गया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



है, विशेषकर इंगित किया है कि क्योंकि याची का स्थायीकरण आदेश दिनांक 27.06.1999 अभी अस्तित्व में है, इसलिए वह याची को 5वें और 6ठे वेतन आयोग के उपर्युक्त लाभ दिए जाने के लिए अधिकृत करेगा। जब आदेश अंतिम हो गया है, और मंडी परिषद, अर्थात् प्रत्युत्तरदाता (गण) ने, रिट न्यायालय के उपर्युक्त निष्कर्ष को चुनौती देना उचित नहीं समझा था तो अब उनके लिए याची को नियमितीकरण आदेश दिनांक 20.11.2015 के आधार पर, स्थायीकरण आदेश दिनांक 27.06.1999 का लाभ देने से, विशेषकर, जब मामले के इन पहलुओं पर रिट न्यायालय द्वारा निर्णय और आदेश दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से पहले ही विचार किया जा चुका है और यह पक्षकारों के बीच अंतिम रूप ले चुका है, इन्कार करने में बहुत विलंब हो चुका है।

13. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है। याची को 5 वें और 6ठे वेतन आयोग का लाभ प्रदान करने के लिए, प्रत्युत्तरदातागण को आदेश देते हुए एक परमादेश रिट जारी की जाती है। उक्त लाभ याची को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की दिनांक से दो महीने की अवधि के भीतर प्रदान किए जाएंगे।

14. वाद का समापन करने से पूर्व, न्यायालय इस विशेष तथ्य पर विचार कर सकता है कि प्रत्युत्तरदातागण अब भी यह दावा कर रहे हैं कि स्थायीकरण आदेश दिनांक 27.06.1999 नियमों के विरुद्ध पारित किया गया था, फिर भी उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिसने आक्षेपित आदेश पारित किया था, और आज की दिनांक तक भी, स्थायीकरण आदेश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दिनांक 27.06.1999 अभी अस्तित्व में है और रिट न्यायालय के आदेश दिनांक 30.08.2019 के बाद भी प्रत्युत्तरदातागण द्वारा उपर्युक्त अवैध आदेश को, यदि कोई है, प्रत्याहृत करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिणामस्वरूप, प्रत्युत्तरदाता सं. 1, मंडी परिषद में ऐसी चूकों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध जांच आरंभ करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि जांच की जाती है, तो प्रत्युत्तरदातागण उस राशि को, जो याची को देय है, उन अधिकारियों से वसूल करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिन्हें आदेश दिनांक 27.06.1999 पारित करने के लिए उत्तरदायी पाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप याची को बकाया राशि का भुगतान करना पड़ा था।"

5.1. उपर्युक्त आदेश को इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष विशेष अपील सं. 116 वर्ष 2025 में चुनौती दी गई थी और उसे आदेश दिनांक 21.03.2025 द्वारा खारिज किया गया था। आदेश दिनांक 21.03.2025 निम्नवत् है:

"1. अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता श्री आदित्य मोहन के साथ, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुदीप सेठ, राज्य के विद्वान् अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री आनंद सिंह, और निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 के विद्वान् अधिवक्तागण श्री अश्वनी कुमार एवं श्री अविनाश साहू को सुना गया।

2. अपीलार्थीगण ने विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-ए सं. 614 वर्ष 2020 [उदयवीर सिंह बनाम उ. प्र. राज्य एवं अन्य] में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 13.02.2025 को चुनौती दी है, जिसके अधीन विद्वान् एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका अनुज्ञात करते हुए, अपीलार्थीगण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(जो रिट याचिका में प्रत्युत्तरदातागण थे) को, आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की दिनांक से दो महीने की अवधि के भीतर देय, निजी-प्रत्युत्तरदाता सं.2 (जो रिट याची था) को 5वें और 6ठे वेतन आयोग का लाभ प्रदान करने का आदेश देते हुए, एक निदेश जारी किया था।

3. अपीलार्थीगण के विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता ने, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 अनुसरण में, एक अनुपूरक शपथपत्र दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर लिया गया है।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता ने, आक्षेपित आदेश दिनांक 13.02.2025 को चुनौती देते हुए, निवेदित किया है कि निजी-प्रत्युत्तरदाता सं.2 (रिट याची) 5वें और 6ठे वेतन आयोग का लाभ पाने के लिए अधिकृत नहीं था।

यह इंगित किया गया है कि एक विशिष्ट तर्क यह किया गया था कि निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2, सेवा में आदेश दिनांक 20.11.2015 के माध्यम से ही नियमित किया गया था और इसी कारण से, वह 5वें और 6ठे वेतन आयोग का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हो सकता था।

5. यह भी तर्क दिया गया है कि निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 को वर्ष 1995 में सात अन्य व्यक्तियों के साथ तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। उस समय विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया था कि क्योंकि नियमित नियुक्ति में समय लगेगा, इसलिए लक्ष्य पूरा करने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के लिए, निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 और सात अन्य व्यक्तियों को निदेशक के अनुमोदन के साथ तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था।

6. अग्रेतर निवेदित किया गया है कि एक तदर्थ कर्मचारी को किसी पद पर सुसंगत शासनादेशों और नियमितीकरण नियमावली के अनुपालन के अध्यक्षीन ही नियमित किया जा सकता है। मामले के इस पहलू पर विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा विचार नहीं किया गया है, जिन्होंने केवल रिट याचिका सं. 2305 (एस/एस) वर्ष 2015 में पारित पूर्ववर्ती आदेश पर विश्वास किया है। यह निवेदित किया गया है कि आधार उठाए गए थे, उन पर विचार नहीं किया गया है, और विद्वान् एकल न्यायाधीश पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 30.8.2019 से प्रभावित हुए हैं।

7. अग्रेतर निवेदित किया गया है कि विद्वान् एकल न्यायाधीश ने पत्र दिनांक 27.06.1999 पर विश्वास किया है, जो यह अभिनिर्धारित करने का आधार है कि निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 को उक्त पत्र के माध्यम से स्थायी किया गया था। तथापि, यह तर्क दिया गया है कि उक्त पत्र एक असक्षम प्राधिकारी द्वारा और सेवा नियमावली के विरुद्ध जारी किया गया था, अतः, उक्त आदेश का कोई लाभ निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 को नहीं दिया जा सकता था। निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 को आदेश दिनांक 20.11.2015 द्वारा नियमित किया गया था और सभी लाभ निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 को केवल नियमितीकरण की दिनांक से ही उपलब्ध किए जा सकते हैं, और 27.06.1999 से नहीं, विशेषकर, जब अभिकथित स्थायीकरण आदेश एक असक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था, और वह विधि की दृष्टि में अकृत था। इस तथ्य के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अतिरिक्त, कि यदि आक्षेपित आदेश बने रहन। अनुज्ञात किया जाता है, तो इससे अपीलार्थीगण पर गंभीर वित्तीय भार पड़ेगा। अतः, यह अपास्त किए जाने योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि इस पहलू पर विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा विचार नहीं किया है, और न ही उन्होंने किसी असक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के परिणामों पर विचार किया है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम जगदीप सिंह एवं अन्य, 1963 एस सी सी ऑनलाइन 98 (एस सी) में विचार किया है। इस दृष्टि से, आक्षेपित आदेश एक स्पष्ट त्रुटि से ग्रसित है, और अंतर-न्यायालय अपील अनुज्ञात करने के बाद, यह अपास्त किए जाने योग्य है।

9. इसके विपरीत, निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 के विद्वान् अधिवक्ता ने इंगित किया है कि निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 को 18.11.1995 को, एक वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ, मंडी सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था। निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 ने कार्यभार ग्रहण किया था और उसके बाद 27.06.1999 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसके द्वारा उसे उक्त पद पर स्थायी कर दिया गया था। तब से, निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2, मंडी सहायक के पद पर निरंतर कार्य कर रहा है। तथापि, उसे 5वें और 6ठे वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया था, जिसके लिए उसने संबंधित प्राधिकारियों को अभ्यावेदन किया था और उसे एक पूर्ववर्ती अवसर पर भी इस न्यायालय को आना पड़ा था, जिसके द्वारा, पहली बार में, निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 की रिट

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



याचिका का निस्तारण, प्राधिकारी को रिट याची के लंबित अभ्यावेदन पर विचार करने और विनिश्चय करने का निदेश का निदेश देने के साथ किया गया था।

10. इसके अग्रेषण में, प्राधिकारियों ने 04.04.2015 को निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 का दावा निरस्त कर दिया था, जिसके कारण उसने एक अन्य रिट याचिका दाखिल करके उक्त आदेश को चुनौती दी थी। रिट याचिका सं. 2305 (एस/एस) वर्ष 2015 में, विद्वान् एकल न्यायाधीश ने, विरोधी निवेदनों पर विचार करने के बाद, आदेश दिनांक 30.08.2019 द्वारा उक्त रिट याचिका, मंडी प्राधिकारियों को, निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 के, देय दिनांक से 5वें और 6ठे वेतन आयोग का लाभ, और उससे संबंधित अन्य सभी लाभ दिए जाने के दावे पर विचार करने का निदेश देते हुए निस्तारित की थी।

11. तथापि, इस निदेश के बाद भी, अपीलार्थीगण ने इसका पालन नहीं किया था, बल्कि आदेश दिनांक 31.12.2019 द्वारा, निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 का दावा निरस्त कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 ने रिट-ए सं. 614 वर्ष 2020 दाखिल की थी, जिसे आक्षेपित आदेश दिनांक 13.02.2025 द्वारा अनुज्ञात किया गया था, जिसे अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अंतर-न्यायालय अपील में चुनौती दी गई है।

12. यह तर्क दिया गया है कि उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, अपीलार्थीगण द्वारा उठाए गए आधारों पर न्यायालय द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका था और निरस्त किया गया था, जैसा पूर्ववर्ती रिट याचिका सं. 2305 (एस/एस) वर्ष 2015 में पारित आदेश से स्पष्ट है। यह भी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



निवेदित किया गया है कि अपीलार्थीगण उन विवाद्यों को उठाने के लिए अधिकृत नहीं हैं, जिन पर पूर्ववर्ती रिट याचिका में पहले ही विचार किया जा चुका था। विशेषकर, जब उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी, और वह अंतिम हो गया था। तदनुसार, अब अपीलार्थीगण, इस अंतर-न्यायालय अपील को दाखिल करने की प्रक्रिया का आश्रय लेकर, रिट याचिका सं. 2305 (एस/एस) वर्ष 2015 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2019 को अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। अतः, यह प्रस्तुत अंतर-न्यायालय अपील खारिज की जाने योग्य है।

13. इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन भी किया है।

14. यह न्यायालय पाता है कि निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 लंबे समय से 5वें और 6ठे वेतन आयोग के लाभों का दावा कर रहा है। इससे पहले, उसने रिट याचिका सं. 6737 (एस/एस) वर्ष 2014 अधिमानित की थी, जिसका आदेश दिनांक 24.11.2014 द्वारा इस निदेश के साथ निस्तारण किया गया था कि निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 के 5वें और 6ठे वेतन आयोग के लाभ दिए जाने के दावे पर विचार किया जाए। उक्त आदेश के अनुसरण में, निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 का अभ्यावेदन दिनांक 04.04.2015 निरस्त कर दिया गया था। उसने रिट याचिका सं. 2305 (एस/एस) वर्ष 2015 दाखिल करके इसे चुनौती दी थी।

15. विद्वान् एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका सं. 2305 (एस/एस) वर्ष 2015 में पारित अपने आदेश दिनांक 30.08.2019 में, पक्षकारों के संबंधित निवेदनों पर सूक्ष्मता से विचार

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



किया था और तत्पश्चात् यह निष्कर्ष अभिलिखित किया था कि निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 स्थायीकरण आदेश दिनांक 27.06.1999 के लाभ के लिए अधिकृत था और वह 5वें और 6ठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के लिए भी अधिकृत होगा। रिट याचिका सं. 2305 (एस/एस) वर्ष 2015 में आदेश दिनांक 30.08.2019 पारित करते समय, विद्वान् एकल न्यायाधीश ने मंडी प्राधिकारियों के इस तर्क का भी संज्ञान लिया था कि अभिलिखित स्थायीकरण का पत्र दिनांक 27.06.2019 सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया था।

16. क्योंकि, निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 का अभ्यावेदन आदेश दिनांक 31.12.2019 के माध्यम से पुनः निरस्त कर दिया गया था, इसलिए इसे रिट-ए सं. 614 वर्ष 2020 में चुनौती दी गई थी। विद्वान् एकल न्यायाधीश ने पाया था कि आदेश दिनांक 30.08.2019 को चुनौती नहीं दी गई थी, और इसलिए, उन्होंने पूर्ववर्ती आदेश पर विश्वास किया था और यह निष्कर्ष अभिलिखित किया था कि क्योंकि इस रिट याचिका में मंडी अधिकारियों द्वारा उठाए गए विवादक वही थे, जो पहले उठाए गए थे और न्यायालय द्वारा अपने पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 30.08.2019 द्वारा विनिश्चित किए गए थे, इसलिए, मंडी प्राधिकारियों के तर्क निरस्त कर दिए गए थे और रिट याचिका अनुज्ञात की गई थी। अग्रेतर, मंडी प्राधिकारियों को रिट याची पर 5वें और 6ठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने का आदेश देते हुए, एक निदेश जारी किया गया था।

17. यह विवादित नहीं है कि दिनांक स्थायीकरण आदेश दिनांक 27.06.1999, प्राधिकारियों द्वारा आज तक अपास्त नहीं किया गया है और न ही प्रत्याहृत किया गया है। यदि कुल

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मिलाकर, प्राधिकारियों ने यह पाया था कि वह आदेश उपयुक्त नहीं था, तो प्राधिकारी उक्त आदेश को वापस लेने के लिए स्वतंत्र थे। इसके स्थान पर, मंडी प्राधिकारियों ने निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 के अभ्यावेदन को बार-बार निरस्त किया है, किन्तु आदेश दिनांक 27.06.1999 को वापस नहीं लिया था।

18. विनिर्दिष्ट रूप से, रिट याचिका सं. 2305 (एस/एस) वर्ष 2015 में विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2019 बहुत स्पष्ट था और उसमें उन सभी विवाद्यों पर विचार किया गया था, जिन्हें यहां उठाने की मांग की जा रही है, और उसे अस्वीकृत किया गया था।

19. अपीलार्थीगण द्वारा यह विवादित नहीं किया गया है कि विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2019 को कभी चुनौती नहीं दी गई थी और वह अंतिम हो गया है। जब उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी, तो वह प्राधिकारियों पर बाध्यकारी हो गया था और वे उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। क्योंकि, विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.08.2019 में एक सकारात्मक निष्कर्ष अभिलिखित किया गया था, जिसे चुनौती नहीं दी गई थी और यह अंतिम हो गया था, इसलिए, अपीलार्थीगण के लिए रिट याचिका के अभ्यावेदन को अस्वीकार करना और उसे 5 वें तथा 6 ठे वेतन आयोग का लाभ देने से इन्कार करना उपयुक्त नहीं था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



20. आक्षेपित आदेश के परिशीलन से, यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण के विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता का यह सुझाव कि विद्वान् एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण के तर्कों पर विचार नहीं किया है, गलत है, क्योंकि विद्वान् एकल न्यायाधीश ने न केवल प्रस्तुत निवेदनों पर विचार किया था, बल्कि पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 30.08.2019 पर भी विचार किया था, जिसने अंतिमता प्राप्त कर ली थी और उसके बाद याचिका अनुज्ञात की थी।

21. स्वीकृत तथ्यों पर विचार करने का एक अन्य रीति भी है, और अभिलेख स्पष्ट करता है कि विद्वान् एकल न्यायाधीश ने पूर्ववर्ती रिट याचिका में पारित अपने आदेश दिनांक 30.08.2019 में निजी प्रत्युत्तरदाता सं. 2 के पक्ष में एक सकारात्मक निष्कर्ष अभिलिखित किया था, और इसी के अनुसरण में मंडी प्राधिकारियों से एक परिणामी आदेश पारित करने की अपेक्षा की गई थी, परंतु उन्होंने निजी प्रत्युत्तरदाता सं. 2 का दावा निरस्त कर दिया था, जिसके कारण उसे रिट-ए सं. 614 वर्ष 2020 दाखिल करनी पड़ी, और इन परिस्थितियों में, जहां स्थायीकरण आदेश दिनांक 27.06.1999 सहित, एक सकारात्मक निष्कर्ष अस्तित्व में था, तब ऐसा निदेश, जिससे निजी प्रत्युत्तरदाता सं. 2, विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के लाभ के लिए अधिकृत होगा, जारी करने के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं थे।

22. यह न्यायालय अग्रतर संप्रेक्षित करता है कि ऐसा नहीं है जैसे कि यदि मंडी प्राधिकारियों को आदेश दिनांक 27.06.1999 से अवगत नहीं थे और वे निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 का दावा बार-बार खारिज कर रहे थे, किन्तु उन्होंने आदेश दिनांक 27.06.1999 को वापस लेने के लिए कोई

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कदम नहीं उठाया था, न ही रिट याचिका सं. 2305 (एस/एस) वर्ष 2015 में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2019 को चुनौती देने का कोई प्रयास किया गया था। इसलिए, इस विलंबित प्रक्रम पर, जहां आरंभिक आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी, अब इस अंतर-न्यायालय अपील के माध्यम से रिट न्यायालय द्वारा पारित पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 30.08.2019 को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक्रमित करने के प्रयास किया गया है, जिसे अनुमोदित नहीं किया जा सकता। है इसलिए, अपीलार्थीगण के विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता के निवेदन इस न्यायालय को प्रभावित नहीं करते हैं।

23. जहां तक जगदीप सिंह (उपर्युक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के विनिश्चय पर विश्वास करने का संबंध है, यह प्रस्थापना विवादित नहीं है, किन्तु यह प्रस्तुत वाद के तथ्यों पर लागू नहीं होती है। आदेश दिनांक 27.06.1999 को, जो बिना किसी प्राधिकार के कहा गया है, वापस नहीं लिया गया है, बल्कि, आदेश दिनांक 27.06.1999 यथावत होने के बाद भी, निजी-प्रत्युत्तरदाता सं. 2 को केवल उसके परिणामों से इन्कार किया गया है। इसलिए, अपीलार्थीगण के विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा बल दी गई प्रस्थापना से कोई लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

24. हमारी सुविचारित राय है कि वाद के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, रिट-ए सं. 614 वर्ष 2020 में विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 13.02.2025 में कोई त्रुटि नहीं निकाली जा सकती है, इसलिए, यह अंतर-न्यायालय अपील सारहीन है और तदनुसार खारिज की जाती है। पक्षकार वादव्यय स्वयं वहन करें।”

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5.2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील के लिए विशेष अनुमति भी दाखिल की गई थी, जिसे भी आदेश दिनांक 21.07.2025 द्वारा खारिज कर दिया गया था। तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका, याची को आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर, निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उ. प्र. के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देने के साथ निस्तारित की जाती है। यदि ऐसा कोई आवेदन/अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो निदेशक को, इस न्यायालय द्वारा उसी मामले में पारित उपर्युक्त निर्णय पर विचार करने के बाद, एक तर्कसंगत और सकारण आदेश द्वारा याची के अभ्यावेदन पर विनिश्चय के लिए निदेशित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

24 मार्च, 2026

अर्पण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”